

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: १५२४

दिनांक: ५/३/१५

समरत उप आवासन आयुक्त,
 वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर
 वृत्त - प्रथम/द्वितीय जोधपुर
 वृत्त - कोटा, उदयपुर, बीकारने, अलवर
 राजस्थान आवासन मण्डल
 समरत रवतंत्र खण्ड कार्यालय

विषय :-वरीयता/आवास आवंटन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समय-समय पर अद्योहस्ताक्षकर्ता के समक्ष राजकाम्प द्वारा समय पर लॉटरी न कर पाने के बारे में शिकायत की जाती है। इस संबंध में राजकाम्प से जानकारी प्राप्त करने पर यह बताया गया कि जिस दिन वरीयता/आवास आवंटन की लॉटरी होनी होती है उसी दिन/उसी समय मण्डल द्वारा डाटा राजकाम्प को भेजा जाता है।

भविष्य में कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए वरीयता/आवास आवंटन की लॉटरी की तिथि इस प्रकार तय की जावे कि डाटा 2 दिवस पूर्व अपलोड कर दिया जावे एवं लॉटरी से संबंधित अन्य कार्यवाही 1 दिवस पूर्व पूर्ण कर ली जावे। यदि उक्त प्रक्रिया में मण्डल की ओर से कमी पाई जाती है तो इसे गंभीरता से लिया जावेगा।



आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव अध्यक्ष, रा.आ.म. जयपुर।
2. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मु०/रा.आ.म. जयपुर
3. अति. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/रा.आ.म. जयपुर
4. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.म. जयपुर
5. समरत उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंतारा.आ.म. जयपुर
6. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), रा.आ.म. जयपुर
7. प्रभारी अधिकारी, राजकाम्प, जयपुर को पत्र भेजकर निवेदन है कि मण्डल की वरीयता लॉटरी समय पर करने हेतु संबंधित कार्मिक को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
अमूरसन् आयुक्त
जयपुर